

म.प्र. शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल

-: आदेश :-

भोपाल, दिनांक 07-10-2025

File No.:1/16/8/0036/2025-ESTB-DSD -767138:..... राज्य शासन एतद द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित निम्नलिखित उम्मीदवारों को प्राचार्य वर्ग-1 के पद पर वेतनमान रुपये 67300-206900 में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परीवीक्षा पर नियुक्त करते हुये उनके सामने (कॉलम 4 में अंकित) संस्था/कार्यालय में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है। ये नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक एसएलपी 12398/2023, एसएलपी 8764/2023 एवं माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 7328/2023, डब्ल्यू.पी. 22659/2023, डब्ल्यू.पी. 10745/2024, डब्ल्यू.पी. 13594/2023, डब्ल्यू.पी. 11226/2023, डब्ल्यू.पी. 8521/2023 एवं डब्ल्यू.पी. 38120/2025 एवं अन्य समान याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

1. परीवीक्षा अवधि में उनकी सेवाएं कभी भी बिना कारण बताए एवं बिना नोटिस दिए समाप्त की जा सकेंगी।
2. कार्यग्रहण करने के उपरांत यदि स्वयं की इच्छा से सेवायें छोड़ना चाहते हैं तो एक माह पूर्व नोटिस या एक माह का पूर्ण वेतन देना होगा। इसी तरह यदि विभाग सेवायें समाप्त करता है तो विभाग एक माह पूर्व नोटिस अथवा एक माह का वेतन भुगतान कर सेवायें समाप्त कर सकेगा।
3. कार्यग्रहण के समय जिला मेडिकल बोर्ड का चिकित्सीय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संबंधित संस्था में प्रस्तुत करना होगा।
4. यदि किसी उम्मीदवार का दिव्यांगजन प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जाति प्रमाण पत्र या नियुक्ति संबंधी अन्य कोई प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से बिना नोटिस दिये समाप्त की जा सकेंगी और उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा।
5. यह नियुक्ति आदेश पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
6. उम्मीदवारों की आपसी वरिष्ठता मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 12(1)(क) के अनुसार म.प्र. लोक सेवा आयोग इंदौर से प्राप्त चयनित मेरिट सूची अनुसार होगी।
7. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के तहत 01.01.2005 के उपरांत नियुक्त राज्य शासन के कर्मचारियों को अंशदान पेंशन योजना लागू होगी। म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे तथा म.प्र.

सामान्य भविष्य निधि लागू नहीं होंगे।

08. उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह के अंदर संबंधित संस्था/कार्यालय में कार्यग्रहण करना अनिवार्य है। एक माह की अवधि में उपस्थित न होने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

क्र	उम्मीदवार का नाम एवं पिता/पति का नाम तथा पता	आरक्षित/ अनारक्षित	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/कार्यालय का नाम जहां पदस्थापना की गई है
1	2	3	4
1	अर्पित शुक्ला पुत्र अखिलेश शुक्ला 165/1 संगम कॉलोनी उखरी तिराहा, उखरी मार्ग बलदेवबाग जिला जबलपुर पिन 482002 एमपी	अनारक्षित	संभागीय जबलपुर
2	विवेक मिश्रा पुत्र जय नारायण मिश्रा 54, इडन गार्डन, बीडीए रोड, अमरावद खुर्द, भोपाल पिन 462022	अनारक्षित	संभागीय उज्जैन
3	सौरभ शुक्ला पुत्र जी पी शुक्ला 8/301, आनंद नगर, बांदा बाग, पदम श्री स्कूल के पास रीवा जिला रीवा पिन 486001 मध्य प्रदेश	अनारक्षित	संभागीय रीवा
4	विवेक सिंह पुत्र ईश्वर दीन सिंह 210/1, वार्ड नं 16 ग्राम लैन बधरी पोस्ट बधरा तह सेमरिया जिला रीवा पिन 486445 म.प्र	ओबीसी (अनारक्षित के विरुद्ध)	संभागीय भोपाल
5	निखिल सिंघल पुत्र राजीव सिंघल क्वार्टर 101 ब्लाक 7 टाईप नुप्ल टाउनशिप घाटमपुर लठरी मउ जिला कानपुर 209206	अनारक्षित	संभागीय ग्वालियर
6	देवेश श्रीवास्तव पुत्र के बी श्रीवास्तव उपाध्याय ट्रेडर्स स्ट्रीट के पीछे नेहा नगर मकरोनिया सागर जिला सागर, 470004, म.प्र.	अनारक्षित	दमोह
7	हेमन्त दण्डोटिया पुत्र दुर्गेश दण्डोटिया	इंडब्ल्यूएस	देवास

	गांव और पोस्ट- बूडा डोंगर, तहसील- बदरवास, शिवपुरी, 473885, म.प्र.		
8	अमर नाथ साकेत पुत्र रामदयाल साकेत ग्राम एवं पोस्ट- कटकी सिरमौर, रीवा, 486440 म.प्र.	अनुसूचित जाति	संभागीय सागर
9	श्वेता कुशवाह पुत्री बृजपाल सिंह 19 किले के पास, फतेहगढ़ तह बमोरी जिला गुना, 473105, मध्य प्रदेश	अनारक्षित महिला	गुना
10	प्रशांत मईडा पुत्र सूर्यपाल सिंह 57 मनीष नगर, रतलाम, 457001, म.प्र.	अनुसूचित जनजाति	मंदसौर
11	रघुराज सिंह नागोत्रा पुत्र बसंत नागोत्रा ग्राम ताखला खुर्द पोस्ट नयेगांव तहसील बरघाट, सिवनी, 480771 म.प्र.	अनुसूचित जाति	सिवनी
12	प्रतीक राय पुत्र प्रीतम राय खुरई रोड रेलवे गेट के पास चन्द्रशेखर वार बीना, सागर 470113 मध्य प्रदेश	अनुसूचित जाति	क्षेत्रीय कार्यालय सागर में उप संचालक के पद के विरुद्ध
13	मनीषा भूरिया पुत्री राजकुमार भूरिया प्लॉट नंबर। 41 कृष्णा नगर माढोताल, जबलपुर, 482002 एमपी	ओबीसी (अनारक्षित महिला के विरुद्ध)	मण्डला
14	कविता रघुवंशी D/O रामरतन रघुवंशी पीतल मिल चौराहा, विदिशा, 464001 एमपी	इंडब्ल्यूएस (अनारक्षित महिला के विरुद्ध)	विदिशा
15	दीक्षा ठाकुर पुत्री शिवराम ठाकुर मकान नंबर 49 सानोधा, सागर, 470001, मप्र	ओबीसी महिला	पन्ना
16	शुभम निमजे पुत्र खुन्नादास निमजे 271/27, लक्ष्मी साइकिल स्टोर के पीछे, छोटी बाजार, छिंदवाड़ा, 480001, म.प्र.	ओबीसी (दृष्टिबाधित)	छिंदवाड़ा
17	वेषणवी वर्मा पुत्री सुदामा प्रसाद वर्मा एसबीआई के पीछे, सांची रोड, रायसेन, 464551, मध्य प्रदेश	ओबीसी महिला	राजगढ़
18	यशिका जैन पुत्री रजनेश कुमार जैन माली वाली गली खासगी बाजार लशकर ग्वालियर, 474001, म.प्र.	इंडब्ल्यूएस महिला	क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन में उप संचालक के पद के विरुद्ध
19	श्यामलाल पुत्र जवनसिंह ग्राम- रोशियाजागीर पोस्ट तिनश्या तहसील झिरन्या खरगोन, 451331 म.प्र.	अनुसूचित जनजाति	सिंगरौली

20	राहुल मंडलोई पुत्र भेरू लाल मंडलोई 12 राजीव नगर, रतलाम, 457001 म.प्र	अनुसूचित जनजाति	धार (एकलव्य)
21	विशाल नरगावे पुत्र थानसिंह 31 चारणपुरा कादवी रुई बड़वानी, 451449, म.प्र	अनुसूचित जनजाति	खरगौन
22	प्रियंका पाटिल पुत्री भरत पाटिल एसडी 439 एमपीपीजीसीएल कॉलोनी सारनी, बैतूल 460447 एमपी	अनुसूचित जाति महिला	MPSSDEGB भोपाल में उप संचालक के पद के विरुद्ध (बोर्ड में कार्यग्रहण उपरांत जीएसपी भोपाल में कार्य करेंगे।)
23	तरुणा भाटी पुत्री कन्हैया लाल कंचन कॉलोनी नीमच 458110 एमपी	अनुसूचित जनजाति महिला	क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में उप संचालक के पद के विरुद्ध
24	रीना सोलंकी पत्नि नरेन्द्र सिंह नर्गेश ए/एल 255 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, शिव मंदिर के सामने, पीथमपुर, धार, 454775 एमपी	अनुसूचित जनजाति महिला	संभागीय इंदौर
25	दिनेश परमार पुत्र कैलाश चंद्र परमार 25 के, पटवारी गली वार्ड नं. 11 ताल, रतलाम 457118 एमपी	ओबीसी (श्रवण बाधित)	नीमच

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
RAKESH KUSHRE
Date: 07-10-2025
14:08:18
म.प्र. शासन

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

File No.:1/16/8/0036/2025-ESTB-DSD -767138 दिनांक भोपाल 07-10-2025

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

1. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।

2. निज सचिव, मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार
विभाग, भोपाल।

3. संचालक, कौशल विकास संचालनालय म.प्र.।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एमपीएसएसडीईजीबी भोपाल (म.प्र.)
5. परियोजना संचालक, संत शिरोमणि रविदास, ग्लोबल स्किल पार्क, भोपाल।
6. समस्त संयुक्त संचालक, कौशल विकास, क्षेत्रीय कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें, मध्यप्रदेश।
7. संबंधित कार्यालय/संस्था प्रमुख (कॉलम 4 में दर्शाये अनुसार) मध्यप्रदेश। संबंधित के कार्यग्रहण प्रतिवेदन, व्यक्तिगत विवरण एवं प्रमाण पत्रों की एक-एक प्रमाणित प्रति भेजें। उम्मीदवार का पुलिस चरित्र सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करें। विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय भोपाल से अंतिम अभिमत प्राप्त होने पर संचालनालय कौशल विकास जबलपुर को भेजे। संचालनालय द्वारा पुलिस चरित्र सत्यापन परीक्षण उपरान्त विभाग को प्रेषित किये जावेंगे।
8. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
9. संबंधित उम्मीदवार को सूचनार्थ। निर्देशित किया जाता है कि आप अपने शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, चिकित्सीय परीक्षण प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं सत्यापित छायाप्रति संबंधित संस्था के प्राचार्य/संस्था प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत कर कार्यग्रहण करें। आपको आदेश जारी होने के एक माह के अंदर कार्यग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।

हस्ता०
उपसचिव

म.प्र. शासन

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग